

Rajasthan State Industrial Development & Investment Corporation Ltd.
Udyog-Bhawan, Tilak-Marg, Jaipur-302005

No: IPI/P.6/Policy/326/2024 /1079
Dated: 11 Nov. 2025

ORDER (48/2025)

Sub: Partial amendment in Rule 3(AJ) of RIICO Disposal of Land Rules, 1979.

An agenda item (13) was placed before the Board of Directors of RIICO in its meeting held on 17.10.2025. The BoD has accorded approval for partial amendment in Rule 3(AJ) of RIICO Disposal of Land Rules, 1979, as under:

Rule 3(AJ)	Existing Provision	Amended Provision
5 (iii)	भुगतान की प्रक्रिया: सफल आवेदक की मृत्यु या गंभीर बीमारी की स्थिति में, प्रबंध निदेशक द्वारा उपरोक्त निर्धारित समय अवधि से 30 दिन तक का समय विस्तार/विलम्ब अवधि को 11 प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज की दर से नियमित किया जा सकेगा।	भुगतान की प्रक्रिया: सफल आवेदक की मृत्यु या गंभीर बीमारी या विशेष अपरिहार्य परिस्थितियों में, प्रबंध निदेशक द्वारा उपरोक्त निर्धारित समय अवधि से 30 दिन तक का समय विस्तार/विलम्ब अवधि को 11 प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज की दर से नियमित किया जा सकेगा। 30 दिन से अधिक समय का विस्तार/विलम्ब अवधि को आईडीसी द्वारा उपरोक्त ब्याज दर पर नियमित किया जा सकेगा। आवेदक द्वारा दिये गये कारणों का परीक्षण अधिशाषी निदेशक की अध्यक्षता में गठित समिति, जिसमें सलाहकार (इन्फ्रा), वित्तीय सलाहकार, वरिष्ठ उपमहाप्रबन्धक (पीएण्डडी) एवं सम्बन्धित इकाई प्रभारी सदस्य होंगे के द्वारा किया जायेगा। प्रत्यक्ष आवंटन योजना-2025 के तहत आवंटन हेतु रखे गये भूखण्ड जिनमें आवेदनकर्ता द्वारा ऑफर लेटर में वर्णित राशि जमा करवाने हेतु समयावधि विस्तार के लिए आवेदन किया गया था, परन्तु वह स्वीकार नहीं किया गया था, ऐसे प्रकरण भी इस नियम के लागु होने का आदेश जारी होने के 60 दिवस की अवधि में पुनः आवेदन प्रस्तुत करने पर गुणावगुण के आधार पर पुनः विचार किया जा सकेगा।


(Nimisha Gupta)
Advisor (Infra)

Copy to:

1. units@riico.co.in
2. staff@riico.co.in